न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 4/2019 (डूंगरपुर डिक्री)

रामा पिता रूपाजी भील (अहारी), निवासी पालवडा, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती पुष्पा पत्नी गटुलाल मीणा (मृतक) के बजाय :–

1/1. गटुलाल मीणा, निवासी पालवडा, फला जुहीयाला, तहसील व जिला डूंगरपुर।

2. इन्द्रा लठ्ठा पिता नाथूलाल जी लठ्ठा मीणा, निवासी पालवडा, फला जुहीयाला, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)

3. श्रीमती लक्ष्मी पुत्री स्वर्गीय कानाराम जी डामोर, निवासी पालवडा, फला जुहीयाला, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)

4. सब रजिस्ट्रार डूंगरपुर, सब रजिस्ट्रार कार्यालय, डूंगरपुर (राज.)

5. पटवारी, पटवार मण्डल निवासी पालवडा, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)

6. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी, तहसीलदार डूंगरपुर (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर
दिनांक 05.03.2019 प्र.सं. 90/2013

–––/–––

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री चन्द्र प्रकाश चौबीसा अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री नगीन पटेल अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 2, 3
3– श्री पैरोकार सरकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 से 6

–––::–––

निर्णय **दिनांक 06–04–2021**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं विक्रय पत्र को शून्य घोषित करने का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के खाते एवं कब्जे की आराजी नंबर 378 से 386 एवं 4029/351 कुल कित[illegible]बा 11 बीघा 12 बिस्वा भूमि ग्राम पालवडा में स्थित है। वादी रामा के [illegible] की आवश्यकता होने से खसरा नंबर 4029/351 रकबा 5 बीघा भूमि में से 1 बीघा भूमि का विक्रय करने की चर्चा

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.07.08 12:32:51 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 1 से 3 से की एवं 150000/— में विक्रय करना तय हुआ। वादी ने खसरा नंबर 4029/351 रकबा 5 बीघा भूमि में से 1 बीघा भूमि का विक्रय किया था, किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने वादी के अनपढ़ होने का फायदा उठाकर दिनांक 19—05—2003 को खसरा नंबर 4029/351 रकबा 5 बीघा भूमि में से 1 बीघा भूमि के स्थान पर आराजी नंबर 378 से 386 एवं 4029/351 कुल किता 10 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय सम्पादित करवा लिया, जो वादी के मुकाबले प्रारम्भ से शून्य है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर विक्रय विलेख दिनांक 19—05—2003 को वादी के मुकाबले शून्य घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादीगण की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया एवं आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विक्रय पत्र को शून्य घोषित करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय का नहीं होने से वादी का वाद मात्र इसी आधार पर खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद क्षेत्राधिकार में नहीं होना मानकर अपने निर्णय दिनांक 05—03—2019 से प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा इस न्यायालय में यह प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से वकील श्री नगीन पटेल उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 से 6 औपचारिक पक्षकार की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1/1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तनकियात कायत की गयी हैं एवं प्रकरण साक्ष्य में नियत था, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने बिना साक्ष्य लिए प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी का वाद क्षेत्राधिकार के बाहर मानकर खारिज कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताया तथा अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.07.08 12:32:51 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अपीलान्ट/वादी के वाद का मुख्य आधार रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को शून्य घोषित कराने बाबत् है, जबकि रजिस्टर्ड दस्तावेज को शून्य घोषित करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय का नहीं होकर सिविल न्यायालय का है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण का आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए वादी का वाद क्षेत्राधिकार में नहीं होना मानकर खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 05–03–2019 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 06–04–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.07.08 12:32:51 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** .....

रामा पिता रूपाजी भील (अहारी), नि0 पालवडा, तहसील व जिला डूंगरपुर बनाम **श्रीमती पुष्पा के बजाय गटुलाल मीणा, नि. पालवडा, फला जुहीयाला, तहसील व जिला डूंगरपुर व अन्य**

अपील नं.....**4 / 2019**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
..... **डूंगरपुर** ..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....05**.....माह.....**03**.....**2019**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**06.....**माह.....**04**.....सन् **2021** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री चन्द्रप्रकाश चौबीसा**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री नगीन पटेल** .....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 05–03–2019 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....)..... रूपये ..... **X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**06**.....माह.....**04**.....**2021** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.07.08 12:32:51 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.07.08 12:32:51 IST
Reason: SelfAttested